

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ दिनांक 12 मार्च, 2020

विषय:-शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (एम0डी0/एम0एस0/
डिप्लोमा/एम0डी0एस0) में प्रवेश हेतु दिशा-निर्देश/नीति निर्धारित किये
जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0-3/2020/475, दिनांक
04.03.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नीट पी0जी0-2020
की मेरिट सूची के आधार पर स्टेट कोटा की सीटों के सापेक्ष शैक्षणिक
सत्र-2020-21 में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (एम0डी0/एम0एस0/डिप्लोमा/
एम0डी0एस0) में प्रवेश हेतु निम्नवत् दिशा-निर्देश/नीति निर्धारित करते हुए
कार्यवाही किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. अभ्यर्थियों के आन लाइन पंजीकरण, स्टेट मेरिट सूची-

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रस्ताव के
दृष्टिगत नीट पी0जी0 2020 के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों के आन लाइन
पंजीकरण, डाटा कैप्चर, फोटो अपलोड, शुल्क भुगतान आदि की कार्यवाही हेतु गत
वर्ष की भांति ही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0) योजना भवन, लखनऊ
को तकनीकी संस्था नामित किया जाता है। मेरिट सूची महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा
एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 तथा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य, उ0प्र0 या उनके द्वारा
नामित अधिकारी के द्वारा एन0आई0सी0 के सहयोग से तैयार की जाय।

2. विवरण पुस्तिका (ब्रोशर):-

नीट पी0जी0 2020 की स्टेट कोटे की 50 प्रतिशत सीटें राजकीय मेडिकल
कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों की एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों की
स्नातकोत्तर सीटों हेतु आयोजित की जाने वाली काउंसिलिंग से संबंधित विवरण
पुस्तिका (ब्रोशर) तैयार किये जाने की कार्यवाही महानिदेशालय स्तर पर गठित
समिति, जिसमें के0जी0एम0यू0, लखनऊ तथा डा0 राममनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान
संस्थान, लखनऊ, शासन के प्रतिनिधि तथा महानिदेशालय के अधिकारी सम्मिलित
होंगे, के माध्यम से सम्पन्न की जायेगी। डा0 बी0डी0 सिंह इसके संयोजक होंगे।

3. अर्हताएं (Eligibility)

(क) शैक्षिक अर्हता-

- अभ्यर्थी द्वारा नीट पी0जी0-2020 की परीक्षा में प्रतिभाग किया गया हो तथा परीक्षा में अर्ह घोषित हुआ हो।
- अभ्यर्थी द्वारा एन0आई0सी0 की वेबसाइट <https://upneet.gov.in> पर निर्धारित शुल्क जमा करते हुए ऑनलाइन पंजीकरण कराया गया हो।
- ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने अपनी इण्टर्नशिप 31 मार्च 2020 तक पूर्ण कर ली हो।
- ऐसे अध्ययनरत अभ्यर्थी, जिन्होंने नीट पी0जी0 2020 की अधिसूचना जारी होने की तिथि नीट पी0जी0 (एम0डी0/एम0एस0/डिप्लोमा)-2020 हेतु दिनांक 01.11.2019 तथा नीट एम0डी0एस0-2020 हेतु 11.10.2019 तक या उसके पूर्व अपनी सीट से त्यागपत्र दिया हो।
- ऐसे अभ्यर्थी, जो वर्तमान में किसी विशिष्टता में डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुके हैं, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में उसी विशिष्टता की डिग्री पाठ्यक्रम हेतु अर्ह हैं। एम0सी0आई0 पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन्स- 2000, संशोधित मई 2018 के बिन्दु 10 में निम्न व्यवस्था है-

10. PERIOD OF TRAINING

The period of training for the award of various postgraduate degrees or diplomas shall be as follows:

(1) Doctor of Medicine (M.D.) / Master of Surgery (M.S.)

The period of training for obtaining these degrees shall be three completed years including the period of examination.

Provided that in the case of students having a recognised two year postgraduate diploma course in the same subject, the period of training, including the period of examination, shall be two year.

4. अनर्हताएं (Not Eligible) :-

- ऐसे अभ्यर्थी, जो वर्तमान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हों अथवा अनुत्तीर्ण हों, वे राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों/संस्थानों/डेप्टल कालेजों में प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे।
- ऐसे अध्ययनरत अभ्यर्थी, जिन्होंने नीट पी0जी0 2020 की अधिसूचना जारी होने की तिथि (नीट पी0जी0 (एम0डी0/एम0एस0/ डिप्लोमा)-2020 हेतु दिनांक 01.11.2019 तथा नीट एम0डी0एस0-2020 हेतु 11.10.2019 के पश्चात् अपनी सीट से त्यागपत्र दिया हो।

- ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 परीक्षा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, संतोष डीम्ड विश्वविद्यालय, गाजियाबाद (वर्ष 2007 के बाद प्रवेशित) एवं उ0प्र0 राज्य के बाहर से उत्तीर्ण की हो, राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों/संस्थानों की सीटों पर प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे।
- पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में कार्यरत ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सूची चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी वह राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों/संस्थानों में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

*उपर्युक्त उल्लिखित बिन्दु के क्रम में डा0 सौरभ द्विवेदी व अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य द्वारा योजित सिविल अपील संख्या-8268/2017 तथा डा0 नितिन कुमार व अन्य बनाम डा0 राम दिवाकर व अन्य द्वारा योजित सिविल अपील संख्या-8274/2017 में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.06.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. काउंसिलिंग प्रक्रिया-

नीट पी0जी0 2020 की उत्तर प्रदेश राज्य की सीटों हेतु गत वर्ष की भाँति इस वर्ष भी ऑनलाईन काउंसिलिंग राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, (एन0आई0सी0), योजना भवन, लखनऊ के माध्यम से करायी जायेगी।

6. समय-सारणी-

मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों तथा भारत सरकार द्वारा काउंसिलिंग के संबंध में निर्गत समय-सारणी के दृष्टिगत प्रदेश में नीट पी0जी0 2020 की काउंसिलिंग हेतु समय-सारणी महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में गठित समिति तय करेगी।

7. पंजीकरण/काउंसिलिंग शुल्क-

पूर्व की भाँति इस वर्ष भी नीट पी0जी0 2020 की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पंजीकरण शुल्क रू0 3,000/- (रूपये तीन हजार मात्र) प्रति अभ्यर्थी दोनो चक्रों (प्रथम व द्वितीय) की काउंसिलिंग हेतु जमा कराया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रथम चक्र की काउंसिलिंग हेतु पंजीकरण नहीं कराया जाता है तथा वह द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करना चाहता है तो भी उसे रू0 3,000/- (रूपये तीन हजार मात्र) का पंजीकरण शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण शुल्क वापस देय नहीं (non refundable) होगा।

मॉप अप राउण्ड हेतु रू0 2000/- (रूपये दो हजार मात्र) प्रति अभ्यर्थी (मॉपअप राउण्ड में प्रतिभाग करने हेतु सभी अर्ह अभ्यर्थियों को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा) पंजीकरण शुल्क ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से जमा कराया जाना भी प्रस्तावित है। पंजीकरण शुल्क वापस देय नहीं (non refundable) होगा।

8. धरोहर धनराशि (Security Money)-

धरोहर धनराशि की व्यवस्था निम्नवत् की जाती है:-

(क) राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेज हेतु- रू0 30000/-

(ख) निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज हेतु- रू0 2.00 लाख

(ग) निजी क्षेत्र के डेंटल कालेज हेतु- रू0 1.00 लाख

9. त्याग-पत्र दिये जाने के संबंध में-

(क) राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों हेतु -

प्रदेश की द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग समाप्त होने के पश्चात् प्रवेशित अभ्यर्थी को सीट रिक्त करने की अनुमति नहीं होगी, फिर भी यदि अभ्यर्थी अपनी सीट से त्याग पत्र देता है तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि तथा समस्त शैक्षणिक शुल्क जब्त कर लिया जायेगा व साथ ही साथ रू0 5,00,000/- (रूपये पाँच लाख मात्र) का बाण्ड प्रभावी मानते हुए उक्त धनराशि सरकार के पक्ष में देय होगी, जिसे अभ्यर्थी को आवंटित कालेज में जमा कराना होगा।

(ख) निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों हेतु-

प्रदेश की द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग समाप्त होने के पश्चात् प्रथम व द्वितीय चक्र से प्रवेशित अभ्यर्थी को सीट रिक्त करने की अनुमति नहीं होगी, फिर भी यदि अभ्यर्थी मॉपअप राउण्ड से दो दिन पूर्व अपनी सीट से त्याग पत्र देता है तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि तथा उसके द्वारा तत्समय जमा किया गया समस्त शिक्षण शुल्क जब्त कर लिया जायेगा।

मॉप अप राउण्ड के पश्चात् निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों/डेंटल कालेजों में प्रवेशित अभ्यर्थी पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व यदि सीट से त्याग पत्र देता है तो उक्त पाठ्यक्रम की समस्त शैक्षणिक शुल्क (Tution Fee) सम्बन्धित मेडिकल कालेज/विश्वविद्यालय/ डेंटल कालेज को देय होगी और सिक्योरिटी धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा यदि अभ्यर्थी को सिक्योरिटी धनराशि वापस की जा चुकी है तो वह भी उसे जमा करना होगा।

10. प्रवेश प्रक्रिया-

प्रवेश प्रक्रिया के सम्बन्ध में रिट याचिका (सिविल) संख्या-267/2017 वार्-अस-सलाम एजूकेशनल ट्रस्ट व अन्य बनाम मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.05.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. प्रदेश के निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों में प्रवेश हेतु नोडल सेन्टर-

क0सं0	मेडिकल कालेज का नाम	निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज	निजी क्षेत्र के डेंटल कालेज
1.	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,	1. एराज लखनऊ मेडिकल कालेज,	1. सरस्वती डेंटल कालेज, लखनऊ,

	लखनऊ	लखनऊ 2. कैरियर इंस्टी० आफ मेडिकल साइंसेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ 3. टी०एस० मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ 4. इन्टीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ।	2. सरदार पटेल पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टी० ऑफ डेण्टल साइंसेज, लखनऊ 3. कैरियर इंस्टी० आफ डेण्टल साइंसेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ
2.	एल०एल०आर०एम० मेडिकल कालेज, मेरठ	5. मुजफ्फरनगर मेडिकल कालेज, मुजफ्फरनगर 6. सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ 7. तीर्थाकर महावीर मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, मुरादाबाद 8. सरस्वती इंस्टी० आफ मेडिकल साइंसेज, हापुड 9. स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज, शारदा यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा 10. रामा मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, हापुड	4. सुभारती डेण्टल कालेज, मेरठ 5. कालका डेण्टल कालेज, मेरठ 6. आई०टी०एस० डेण्टल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर ग्रेटर नोएडा 7. स्कूल ऑफ डेण्टल (शारदा यूनिवर्सिटी), ग्रेटर नोएडा 8. तीर्थाकर महावीर डेण्टल कालेज, मुरादाबाद
3.	जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज, कानपुर	11. रामा मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर कानपुर	9. रामा डेण्टल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर कानपुर 10. कोठीवाल डेण्टल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर मुरादाबाद
4.	एस०एन० मेडिकल कालेज, आगरा	12. रूहेलखण्ड मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, बरेली 13. श्री राममूर्ति स्मारक इंस्टी० आफ मेडिकल साइंसेज, बरेली 14. राजश्री मेडिकल	11. इन्द्रप्रस्थ डेण्टल कालेज एण्ड हास्पिटल, गाजियाबाद 12. के०डी० डेण्टल कालेज, मथुरा 13. श्री बांके विहारी डेण्टल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर,

		रिसर्च इंस्टीट्यूट, बरेली 15. एफ0एच0 मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, आगरा	गाजियाबाद 14. डी0जे0 कालेज ऑफ डेण्टल साइंसेज एण्ड रिसर्च, मोदीनगर, गाजियाबाद 15. इंस्टी0 आफ डेण्टल साइंसेज, बरेली 16. आई0डी0एस0टी0 मोदीनगर गाजियाबाद 17. आई0टी0एस0 डेण्टल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, मुरादनगर गाजियाबाद
5.	डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ	16. हिन्द इंस्टी0 ऑफ मेडिकल साइंसेज, बाराबंकी 17. हिन्द इंस्टी0 ऑफ मेडिकल साइंसेज, सीतापुर 18. मेयो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बाराबंकी	18. चन्द्री डेण्टल कालेज बाराबंकी 19. वी0बी0डी0 कालेज आफ डेण्टल साइंसेज, लखनऊ
6	मेडिकल कालेज, गोरखपुर		20. डेण्टल कालेज, आजमगढ़
7	एम0एल0एन0 मेडिकल कालेज, प्रयागराज	19. हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वाराणसी	

12. बाण्ड व्यवस्था लागू किए जाने के सम्बन्ध में-

(अ) सेवा बाण्ड -

उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या- 950/71-2-82/2017, दिनांक 07 मार्च, 2018 के क्रम में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को अनिवार्य शासकीय सेवा से सम्बन्धित एग्रीमेण्ट बाण्ड निम्न तालिकानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

क्र0 सं0	पाठ्यक्रम	बाण्ड की अवधि	बाण्ड की धनराशि	सेवा का स्थान
	स्नातकोत्तर (एम0डी0/ एम0एस0/ एम0डी0एस0 / पी0जी0 डिप्लोमा पाठ्यक्रम)	02 वर्ष	रु0 40.00 लाख (डिग्री हेतु) रु0 20.00 लाख (पी0जी0 डिप्लोमा/ एम0डी0	महानगरों को छोड़कर राजकीय मेडिकल कालेजों में सीनियर रेजीडेण्ट अथवा सविदा प्रवक्ता तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन संचालित महानगरों को छोड़कर जिला चिकित्सालयों अथवा सामुदायिक

		0एस0 हेतु)	स्वास्थ्य केन्द्र में सविदा विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में।
--	--	------------	---

(ब) (I) स्टेट कोटा/आल इण्डिया कांउसिलिंग के माध्यम से राजकीय मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों/ संस्थानों/डेण्टल कालेजों में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी को प्रवेश के समय रू0 5,00,000.00 (रू0 पाँच लाख मात्र) का बाण्ड महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ के पक्ष में इस आशय से देय होगा कि यदि प्रवेशित अभ्यर्थी द्वारा अपना पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व अपनी सीट से त्याग पत्र देता है तो रू0 5,00,000.00 (रू0 पाँच लाख मात्र) का भुगतान महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ को देय होगा तथा प्रवेश हेतु जमा किया गया शुल्क तथा सिक्योरिटी धनराशि वापस नहीं किया जायेगा।

(II) स्टेट कोटा/आल इण्डिया कांउसिलिंग के माध्यम से राजकीय मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों/ संस्थानों/डेण्टल कालेजों में प्रवेशित अभ्यर्थी द्वारा अपना पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व अपनी सीट से त्यागपत्र देता है तो अभ्यर्थी को प्राप्त समस्त वेतन वापस करना होगा। शासनोदेश संख्या- 1332सेक14/पाँच-96-250/82 टी0सी0, दिनांक 08जुलाई, 1996 के अनुसार कोई अभ्यर्थी जिसे किसी विशेषज्ञता के स्नातकोत्तर डिप्लोमा या उपाधि पाठ्यक्रम में राज्य चिकित्सा कालेजों या के0जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ में, प्रविष्ट किया गया हो, किसी भिन्न विशेषज्ञता में प्रवेश के लिए पश्चातवर्ती प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह पाठ्यक्रम जिसमें उसे प्रवेश दिया गया है, पूर्ण नहीं कर लेता है और परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता है परन्तु यह कि यदि किसी प्रविष्ट छात्र का त्यागपत्र, सम्बद्ध कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा अधिसूचना के जारी होने के पूर्व, स्वीकार किया जाता है और अभ्यर्थी पाठ्यक्रम/अध्ययन के दौरान उसके द्वारा प्राप्त वृत्तिका/वेतन की सम्पूर्ण धनराशि लौटा देता है, तब ऐसा छात्र पश्चातवर्ती प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होगा परन्तु यह और कि इस उपखण्ड के उपबन्ध ऐसे अभ्यर्थी पर लागू नहीं होंगे, जो उस पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लेता है, जो उसे आवंटित किया गया है।

13. प्रदेश में स्थापित समस्त राजकीय मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों/स्वायत्तशासी संस्थानों के स्टेट कोटा के सीटों के संबंध में आरक्षण व्यवस्था:-

(क) प्रदेश में स्थापित समस्त राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों/स्वायत्तशासी संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था नियमानुसार लागू की जानी है।

ऊर्ध्वाधर (Vertical) आरक्षण

अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थी	21 प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थी	02 प्रतिशत
अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थी	27 प्रतिशत

आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी 10 प्रतिशत*

*भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को 10 प्रतिशत का आरक्षण अनुमन्य किये जाने संबंधी नीतिगत निर्णय लेते हुए अधिसूचना निर्गत की जा चुकी है। जिन मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों में इस वर्ष पी0जी0 पाठ्यक्रमों में सीट वृद्धि हो गयी है उसके सापेक्ष अनुमन्य सीमा तक अधिकतम 10 प्रतिशत E.W.S. कोटा लागू किया जाए।

क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण

दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी

05 प्रतिशत

(ख) स्पेशल अपील संख्या-689/2015 सुरेन्द्र कुमार कावंत बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.10.2015 के परिप्रेक्ष्य में अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से उत्तर-प्रदेश में विस्थापित होकर आये अभ्यर्थियों को नीट पी0जी0 2020 के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(ग) रिट याचिका संख्या-1968 आफ 2017 ज्योति शुक्ला बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा हॉरिजाण्टल आरक्षण के संबंध में दिनांक 24.3.2017 को पारित आदेश द्वारा क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण का लाभ अभ्यर्थी की अपनी श्रेणी में उपलब्ध सीटों पर ही अनुमन्य होगा।

(घ) उत्तर प्रदेश राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आने वाली कतिपय जातियां भारत सरकार में अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित हैं। यह सम्भावना है कि नीट पी0जी0 2020 के आवेदन के समय उ0प्र0 राज्य के कुछ अभ्यर्थियों द्वारा अपनी जाति अनारक्षित श्रेणी में दर्शा दी गई हो। अतः उत्तर प्रदेश राज्य की नीट पी0जी0 2020 की काउंसिलिंग हेतु जारी किए जाने वाले ब्रोशर में उल्लिखित जातियों के अनुसार ही उत्तर प्रदेश राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को उक्त श्रेणी का लाभ अनुमन्य किया जायेगा।

(ङ) प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों में एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम में आल इण्डिया कोटा की 15 प्रतिशत सीटों पर अन्य प्रदेश के प्रवेशित अभ्यर्थियों को प्रदेश कोटा की पी0जी0 सीटों पर आरक्षण सम्बन्धी लाभ देय नहीं होगा तथा वह सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी ही माने जायेंगे।

(च) आरक्षण से सम्बन्धित सभी प्रपत्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होंगे।

(छ) दिव्यांगता प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रों व जारी प्रारूप पर ही मान्य होंगे।

(ज) निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कॉलेजों की सीटों पर कोई आरक्षण देय नहीं है।

14. निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों में शिक्षण शुल्क के सम्बन्ध में:-

निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों का शिक्षण शुल्क पृथक से निर्धारित कर शासनादेश निर्गत किया जायेगा।

15. निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों के डोमिसाइल के सम्बन्ध में :-

गत वर्ष स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में लागू व्यवस्था की भांति ही नीट पी0जी0 2020 हेतु भी निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों में उत्तर प्रदेश राज्य के निवासियों के साथ ही साथ अन्य राज्यों के निवासियों को भी नीट आवंटन हेतु अर्ह माना जायेगा।

16. काउंसिलिंग के संचालनार्थ एवं अन्य आवश्यक व्ययों की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में:-

नीट पी0जी0 2020 की ऑनलाईन काउंसिलिंग के संचालनार्थ एवं अन्य आवश्यक व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों से आवंटन के परिप्रेक्ष्य में प्रति कालेज रू0 2,00,000/- तथा निजी क्षेत्र के डेंटल कालेजों से आवंटन के परिप्रेक्ष्य में प्रति कालेज रू0 1,00,000/- जमा कराया जाय।

17. उत्तर प्रदेश के पी0एम0एच0एस0 संवर्ग :-

मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित सुसंगत आदेशों के अनुपालन में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के अर्ह चिकित्सकों को weightage (भारान्क) प्रदान करते हुए महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ को अर्ह चिकित्सकों की सूची उपलब्ध करायी जायेगी।

18. पी0सी0पी0एण्ड डी0टी0 एक्ट-1994 के अन्तर्गत सीटों का आवंटन-

प्रदेश में गर्भधारण, पूर्व एवं प्रसव -पूर्व निदान- तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) छः मासिक प्रशिक्षण नियम 2014 के अनुपालन में जारी अधिसूचना संख्या- 527/71-2-2016-178/2015, दिनांक 23.02.2016 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में छः माह के प्रशिक्षण हेतु अधिसूचित 06 चिकित्सा संस्थानों में सीटें नीट पी0जी0 2020 की मेरिट सूची के आधार पर काउंसिलिंग के माध्यम से भरी जायेंगी।

19. काउंसिलिंग बोर्ड का गठन-

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा अपने स्तर से काउंसिलिंग बोर्ड का गठन किया जायेगा, जिसमें शासन स्तर से न्यूनतम विशेष सचिव स्तर के 01 अधिकारी को नामित किया जायेगा।

20. काउंसिलिंग बोर्ड में अल्पसंख्यक संस्थानों के प्रतिनिधियों का नामांकन-

काउंसिलिंग बोर्ड में निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों के एसोसिएशन द्वारा प्रतिनिधियों के नामांकन की व्यवस्था है, जिसे यथावत लागू रखा जाए।

21. दिव्यांगजनों के लिए प्रमाण पत्र-

भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।

22. माप-अप राउण्ड-

गत वर्ष की भांति वर्तमान वर्ष 2020 में भी माप-अप काउंसिलिंग से सम्बन्धित से कार्य किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ०प्र० लखनऊ के कलाम सेन्टर में सम्पन्न करायी जायेगी।

माप-अप राउण्ड हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिन्हें प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में कोई सीट आवंटित न हुई हो। माप-अप राउण्ड हेतु पृथक से पंजीकरण शुल्क जमा कराते हुए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

23. काउंसिलिंग से सम्बन्धित कर्मचारियों/अधिकारियों (महानिदेशालय/शासन/एन०आई०सी०) को मानदेय दिये जाने के सम्बन्ध में-

इस सम्बन्ध में गत वर्ष की भांति वर्तमान वर्ष 2019 में भी चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-77/71-3-1998 दिनांक 31.01.1998 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

24. निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों की सीटें नीट परीक्षा से भरे जाने के सम्बन्ध में-

निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों की सीटों के नामांकन के संबंध में मा० सर्वोच्च न्यायालय तथा भारत सरकार द्वारा गत वर्ष निर्गत आदेशों को वर्तमान वर्ष 2020 में भी अंगीकृत करते हुए सभी सीटों पर आवंटन नीट परीक्षा के माध्यम से सम्पन्न करायी जायेगी।

25. दिव्यांगजनों के दिव्यांगता सम्बन्धी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में-

दिव्यांगजनों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रों का व्यापक प्रचार-प्रसार मुख्य समाचार पत्रों, वेबसाइट आदि के माध्यम से महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जाय ताकि दिव्यांगजनों को इस सम्बन्ध में कोई असुविधा न हो।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक अग्रतर कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा० रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव।

संख्या- 329 (1)/71-4-2020-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया/डेण्टल काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली
2. कुलपति, उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
3. कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ०प्र० लखनऊ।
4. निदेशक, एस०जी०पी०जी०आई०, लखनऊ।
5. निदेशक, डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
6. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० लखनऊ।
7. निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ।
8. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ०प्र० द्वारा महान्देशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ।
9. समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय, उ०प्र० द्वारा महान्देशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ।
10. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
11. निजी सचिव, मा० चिकित्सा शिक्षा मंत्री/मा० राज्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मार्कण्डेय शाही)
विशेष सचिव।